7

सत्यमेव जयते

भारतीय संसद
राज्य सभा

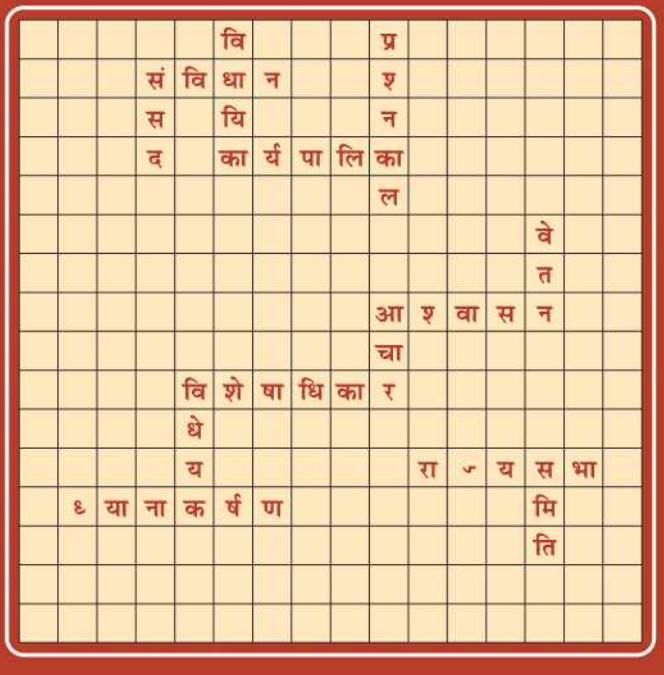

सभा के नेता, विपक्ष के नेता और सचेतकों की भूमिका

भारतीय संसद, राज्य सभा
PARLIAMENT OF INDIA, RAJYA SABHA

7

भारतीय संसद
राज्य सभा

सभा के नेता, विपक्ष के नेता और सचेतकों की भूमिका

© राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

वेबसाइट : http://parliamentofindia.nic.in
: http://rajyasabha.nic.in

ई-मेल : rsrlib@sansad.nic.in

आमुख

यह पुस्तिका राज्य सभा के नव निर्वाचित सदस्यों की सुविधा के लिए प्रकाशित की गई पुस्तिकाओं की शृंखला का एक भाग है। इसमें सभा के नेता, विपक्ष के नेता और सचेतक जैसे संसदीय पदाधिकारियों, जो राज्य सभा के कार्यकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, से संबंधित संक्षिप्त सूचना निहित है। सम्पूर्ण सूचना के लिए मूल स्रोतों का संदर्भ लिया जा सकता है।

इस पुस्तिका का प्रयोजन तत्काल सन्दर्भ के लिए एक सुविधाजनक मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाना है। मैं आशा करता हूं कि यह पुस्तिका सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

नई दिल्ली
जुलाई, 2018

देश दीपक वर्मा
महासचिव

विषय-सूची

पृष्ठ

1. प्रस्तावना 1
2. सभा का नेता 2–11
   (i) इंग्लैंड में सभा के नेता के पद का उद्‌गम और उसके कर्त्तव्य 2–4
   (ii) भारत में स्थिति 4–11
3. विपक्ष का नेता 12–18
4. सचेतक 19–31
   (i) उद्‌गम 19–20
   (ii) कृत्य 20–25
   (iii) भारत में स्थिति 25–28
   (iv) एक व्यक्ति के रूप में सचेतक के गुण 28–31
5. चुनिंदा संदर्भ-ग्रन्थ सूची 32–33

प्रस्तावना

हमारी संसदीय प्रणाली का उद्देश्य इस अर्थ में सहभागिता वाले लोकतंत्र को बढ़ावा देना है जिससे कि हमारे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मसलों पर होने वाले वाद-विवाद और चर्चाओं में भाग लेने के लिए अधिकाधिक सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। संसद में ऐसे बहुत से पदाधिकारी हैं जो वाद-विवाद में सदस्यों की अधिक प्रभावी और सार्थक रूप से भागीदारी को सुकर बनाते हैं। उनमें पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त सभा के नेता, विपक्ष के नेता और सचेतक होते हैं। ये संसदीय कार्यकर्ता सभा के कार्य पर अपना सीधा प्रभाव डालते हैं। इसलिए, संसदीय प्रणाली का कार्यकरण मुख्यत: इन संसदीय पदाधिकारियों की क्षमता पर या अन्य बातों पर निर्भर करता है।

सभा का नेता

इंग्लैंड में सभा के नेता के पद का उद्‌गम और उसके कर्त्तव्य

जैसाकि सर आइवर जेनिंग्स[1] ने कहा है, ब्रिटेन के संविधान में बिना किसी विधान तथा बिना किसी औपचारिक निर्णय के पदों के सृजन की व्यवस्था है। ऐसा पद हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता का पद है। इंग्लैंड में सरकार का एक सदस्य, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में सरकारी कार्यों की व्यवस्था करने के लिए प्रधान मंत्री के प्रति मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, सभा के नेता के रूप में जाना जाता है। यह पद न तो वैधानिक है और न ही क्राउन द्वारा उसे औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः यह पद अन्य पदों के साथ ही धारण किया जाता है।

सभा में सभा के नेता का पदनाम 19वीं शताब्दी के मध्य तक पूर्णतया स्थापित किया गया प्रतीत नहीं होता है। उन दिनों जब प्रधान मंत्री के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मौजूद रहना एक आम बात नहीं थी, एक महत्वपूर्ण मंत्री को हाउस ऑफ कॉमन्स में उसका स्थान लेना पड़ता था।[2] 1942 तक प्रधान मंत्री, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होने पर भी, आमतौर पर सभा के नेता के रूप में कार्य करता था, यद्यपि 1922 के पश्चात् दैनिक कर्तव्यों का निर्वहन अक्सर एक नियुक्त किए गए उप-नेता के द्वारा किया जाता था। 1942 से सभा का एक पृथक नेता रखने की एक नियमित परिपाटी बन गई है और सभा में एक उप-नेता की नियुक्ति के भी उदाहरण रहे हैं।[3]

ग्लैडस्टोन के अनुसार सभा का नेता किसी सीमा तक कार्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण मामलों पर सुझाव देता है, उन्हें तय करता है, अपने सहयोगियों के

[1] पार्लियामेंट, आइवर जेनिंग्स, दूसरा संस्करण, 1970, पृष्ठ 73

[2] एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पार्लियामेंट, नार्मन वाइल्डिंग और फिलिप लोंडी, चौथा संस्करण, पृष्ठ 27-28

[3] एर्सकाइन मेज़ ट्रीअटाइज ऑन दि लॉ, प्रिविलेजिस, प्रोसीडिंग्स एण्ड यूसेज ऑफ पार्लियामेंट, 24वां संस्करण, 2011, पृष्ठ 50

कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, समारोह प्रक्रिया संबंधी मामलों में पहल करता है तथा 'जब कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तब सभा को परामर्श देता है'।[4] सरकारी कार्य की व्यवस्था का ब्यौरा, मुख्य सचेतक द्वारा उसके नियंत्रण के अध्यधीन दिया जाता है। सभा का नेता प्रत्येक बृहस्पतिवार को अगले सप्ताह में किए जाने वाले कार्य की घोषणा करता है। वह समय-समय पर सभा की कार्यावलि के संबंध में प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव भी उपस्थित करता है। प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति में धन्यवाद प्रस्ताव अथवा बधाई प्रस्तावों जैसे औपचारिक अवसरों पर हाउस ऑफ कॉमन्स की भावना को व्यक्त करने का उत्तरदायित्व हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता का होता है। तथापि, उसके कृत्य केवल सरकारी कार्यों तक ही सीमित नहीं हैं। हाउस के नेता की सिफारिशों के आधार पर सरकार को गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों तथा विधेयकों पर निर्णय करना होता है। सभा के भूतपूर्व नेता, हर्बर्ट मोरीसन का सुझाव है कि हाउस के नेता को विधान संबंधी केबिनेट समिति और आगामी विधान कार्य संबंधी समिति का भी अध्यक्ष होना चाहिए। उसे पांच उत्तरदायित्वों के प्रति सजग होना चाहिए, अर्थात् सरकार के प्रति, पिछली सीटों पर बैठे हुए सरकार के अपने समर्थकों के प्रति, विपक्ष के प्रति, समूची सभा के प्रति और व्यक्तिगत प्रभावी मंत्री के प्रति।[5] सभा के दोनों पक्षों की उस तक पहुंच होनी चाहिए। सरकारी सचेतकों के प्रति उसके संबंध नजदीकी, स्नेहपूर्ण और सहयोगपूर्ण होने चाहिए और उसे उनके विचार सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए तथापि वह उनके विचारों से सहमत होने के लिए सदैव बाध्य नहीं है। उसे सदैव यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह उन मामलों में, जिनसे सभा को सचमुच सरोकार है, के बारे में चर्चा करने के लिए हर प्रकार की युक्तिसंगत सुविधाओं को सभा को प्रदान करे और उसे स्वयं को केवल सरकार का सदस्य ही नहीं अपितु समूचे हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकारों का एक प्रमुख संरक्षक भी समझना चाहिए।[6]

---

[4] ग्लीनिंग्स ऑफ पास्ट ईयर्स, डब्ल्यू ई. ग्लैडस्टोन, 1879, पृष्ठ 241 (एर्सकाइन मेज़ ट्रीअटाइज ऑन दि लॉ, प्रिविलेजिस, प्रोसीडिंग्स एण्ड यूसेज ऑफ पार्लियामेंट, 24वां संस्करण, 2011, पृष्ठ 50 में निर्दिष्ट)

[5] गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, हरबर्ट मोरीसन, पृष्ठ 117-18

[6] एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पार्लियामेंट, पृष्ठ 427

वस्तुतः सभा के नेता का कार्य किसी प्रबंधक की तुलना में कहीं अधिक होता है। वह केवल अपने दल और सरकार का ही नेता नहीं होता है अपितु वह सभा का नेता भी होता है। संक्षेप में, जब सभा एक निगमित निकाय के रूप में कुछ कहती है तो वह सभा की ओर से कहता है। वह देश अथवा विदेश के किसी लब्ध-प्रतिष्ठित राजनेता के अंतिम संस्कार अथवा शाही परिवार से संबंध रखने वाली कोई महत्वपूर्ण घटना के घटित होने जैसे राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर, सभा का प्रतिनिधित्व करता है।[7]

भारत में स्थिति

भारत में सभा के नेता की स्थिति कुछ भिन्न है। 'सभा के नेता' शब्द की परिभाषा लोक सभा तथा राज्य सभा के प्रक्रिया विषयक नियमों में की गई है। राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 2(1)के अनुसार 'सभा का नेता' का तात्पर्य प्रधान मंत्री से है, यदि वह सभा का सदस्य हो या उस मंत्री से है जो सभा का सदस्य हो और सभा के नेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा नाम-निर्देशित किया गया हो। प्रधान मंत्री निरपवाद रूप से लोक सभा का नेता[8] होता है।

---

[7] पार्लियामेंट, आइवर जेनिंग्स, पृष्ठ 78-79

[8] 14 फरवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 के बीच, जबकि प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी राज्य सभा की सदस्य थीं, संसदीय कार्य मंत्री, श्री सत्य नारायण सिन्हा को लोक सभा में सभा का नेता नाम-निर्देशित किया गया था। इसी प्रकार 10 जुलाई, 1991 और 20 नवम्बर, 1991 के बीच मानव संसाधान विकास मंत्री, श्री अर्जुन सिंह को लोक सभा में सभा का नेता नाम-निर्देशित किया गया था। प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव 16 नवम्बर, 1991 को हुए एक उप-चुनाव में लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री एच.डी. देवेगौड़ा 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक प्रधान मंत्री रहे और श्री इन्द्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल, 1997 से 18 मार्च, 1998 तक प्रधान मंत्री रहे, चूंकि दोनों राज्य सभा के सदस्य थे, अतः रेल मंत्री श्री रामविलास पासवान को 11 जून, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तक के लिए लोक सभा में सभा का नेता नाम-निर्देशित किया गया। लोक सभा के आम चुनाव के बाद मई, 2004 में संप्रग सरकार के बनने पर, डा. मनमोहन सिंह, जो राज्य सभा के सदस्य थे, प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। तद्नुसार, तत्कालीन रक्षा मंत्री और लोक सभा के सदस्य श्री प्रणब मुखर्जी को मई, 2004 में लोक सभा में सभा के नेता के रूप में नाम-निर्देशित किया गया। इसी प्रकार मई, 2009 में 15वीं लोक सभा के गठन के उपरान्त, राज्य सभा के सदस्य डा. मनमोहन सिंह को प्रधान मंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया और वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी को लोक सभा में सभा के नेता के रूप में नाम-निर्देशित किया गया। श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर लेने के परिणामस्वरूप श्री सुशील कुमार शिन्दे 3 अगस्त, 2012 को लोक सभा में सभा के नेता बने और 18 मई, 2014 तक इस पद पर बने रहे।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 2 में भी ऐसी ही बात कही गई है।

यह परिपाटी रही है कि लोक सभा के सत्र के दौरान यदि सभा का नेता लम्बे समय तक अनुपस्थित रहता है तो, संसदीय कार्य मंत्री सभा के नेता के साथ विचार-विमर्श करके अध्यक्ष को सूचित करता है कि अमुक व्यक्ति सभा के नेता के रूप में कार्य करेगा परन्तु इस संबंध में इस आशय की औपचारिक घोषणा सभा में नहीं की जाती है।[9]

सभा का नेता एक महत्वपूर्ण संसदीय कार्यकर्ता होता है तथा वह संसदीय कार्य के संचालन पर सीधा प्रभाव डालता है। सरकार की समूची नीति, विशेषतया जहां तक यह सभा की आन्तरिक कार्यपद्धति तथा इसके कार्य के तरीके से सम्बन्धित उपायों में अभिव्यक्त होती है, इसके व्यक्तित्व में केन्द्रित होती है।[10]

सरकारी कार्य के प्रबन्ध के लिए सभा के नेता की एकमात्र जिम्मेदारी होती है। हालांकि ब्यौरों का निपटारा इसके अनुमोदन से मुख्य सचेतक द्वारा किया जाता है। सभा का नेता सभा का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने की तारीखों के प्रस्ताव सभापति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता है। उसे संसद के सत्र में होने वाले सरकारी कार्य, अर्थात् विधेयक, प्रस्ताव, पंचवर्षीय योजनाओं, विदेश नीति, आर्थिक अथवा औद्योगिक नीति तथा राज्य की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे सामान्य अथवा विशिष्ट विषयों पर चर्चा करने का कार्यक्रम तैयार करना होता है। वह कार्य की विभिन्न मदों की परस्पर प्राथमिकता को निश्चित करता है ताकि इन मदों की स्वीकृति सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा सके। समूचे सत्र के लिए अस्थायी कार्यक्रम बना लेने के बाद वह कार्य

---

[9] 6 मार्च 1961 को, जब प्रधान मंत्री लंदन में राष्ट्रमंडल देशों के प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश से रवाना हुए तो संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्ष को इस आशय का पत्र लिखा कि प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति के दौरान वित्त मंत्री सभा के नेता के रूप में कार्य करेंगे। तथापि, उन्होंने अध्यक्ष को यह कहा कि सभा में इसकी कोई औपचारिक घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसी ही संसूचना 30 अगस्त, 1961 को संसदीय कार्य मंत्री से उस समय प्राप्त हुई जब प्रधान मंत्री बेलग्रेड में गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश गये थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, एम.एन. कौल और एस. एल. शकधर, सातवां संस्करण, 2016, पृष्ठ 152 **देखें**।

[10] तदेव

की प्रगति को देखते हुए साप्ताहिक तथा दैनिक कार्यक्रम बनाता है तथा प्रत्येक सप्ताह सदस्यों को पहले ही सूचित कर देता है।[11] यदि सभा का नेता कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) का सदस्य हो, अथवा उसकी अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री इस समिति में उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है जो सरकारी विधेयकों तथा अन्य कार्य के लिए समय-समय पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये सुझावों अथवा उससे प्राप्त सुझावों के आधार पर समय के आवंटन का निर्धारण करती है।[12]

इस मामले में भी हमारी प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है। लोक सभा का नेता, अर्थात् प्रधान मंत्री कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कभी भी नहीं बैठता है; कार्य मंत्रणा समिति में उसका प्रतिनिधित्व संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किया जाता है। राज्य सभा में सामान्यतया सभा का नेता कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य होता है। वर्ष 1996 से राज्य सभा में सभा का नेता कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य नहीं होता है परंतु उसे इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए एक विशेष आमंत्रिती के तौर पर आमंत्रित किया जाता है।

जहां तक यह निर्णय लेने का प्रश्न है कि कौन-सा संशोधन स्वीकार किया जाएगा, कौन-से गैर-सरकारी विधेयक को सरकारी समर्थन दिया जायेगा, तथा कौन-सा मामला स्वतंत्र मत के लिए छोड़ दिया जायेगा, सभा का नेता किसी विधान की दिशा अथवा विषय-वस्तु का स्वरूप तैयार करता है तथा उसका निर्णय ही अंतिम होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि समूची विधायी प्रक्रिया में सभा का नेता ही शायद सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति होता है।[13]

यहां भी हमारी प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से थोड़ा भिन्न है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में सामान्यतः गैर-सरकारी कार्य, चाहे वह कोई विधेयक हो या

---

[11] व्यवहार में अगले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के संबंध में उद्घोषणा सभा के नेता की ओर से संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की जाती है। **देखें** प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, एम.एन. कौल एवं एस.एल. शकधर, सातवां संस्करण, 2016, पृष्ठ 152

[12] तदेव

[13] तदेव पृष्ठ 153

प्रस्ताव अथवा कोई संकल्प, के संबंध में सरकार के पक्ष का निर्धारण प्रधान मंत्री द्वारा सभा के नेता के परामर्श से किया जाता है किन्तु भारत में सभा के नेता के अलावा संसदीय कार्य संबंधी केन्द्रीय मंत्रिमंडलीय समिति नामक एक लघु समिति होती है जो यह फैसला करती है कि सरकार को गैर-सरकारी कार्य के प्रति क्या रुख अपनाना चाहिए और यह पूर्णत: सभा के नेता के विवेकाधिकार पर नहीं छोड़ा जाता है जैसी कि ब्रिटिश प्रणाली में व्यवस्था है।

'सभा का नेता' सभा से संबंधित कार्य के प्रक्रिया संबंधी मामलों पर कार्यवाही करता है तथा जब कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, वह सभा को सलाह देता है। इस प्रयोजन के लिए वह सामान्यत: सभा में अथवा अपने कक्ष में उपस्थित रहता है तथा जब कभी वह चाहे, उसे सभा को संबोधित करने का अधिकार होता है।[14]

'सभा के नेता' को मंत्री पद से त्याग-पत्र देने वाले सदस्य के व्यक्तिगत वक्तव्य की एक प्रति, जिसे वह अपने त्याग-पत्र के स्पष्टीकरण में देता है, पहले से ही सप्लाई कर दी जाती है। वह इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए कि संविधान के अनुच्छेद 101 के खण्ड (4) के अधीन किसी सदस्य का स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाये, स्वयं प्रस्ताव कर सकता है अथवा किसी अन्य सदस्य को अपने कृत्य प्रत्यायोजित कर सकता है। 'सभा का नेता' किसी दिन अथवा उस दिन के किसी समय सभा की गुप्त बैठक बुलाने को तय करने के लिए पीठासीन अधिकारी से अनुरोध कर सकता है। वह स्वयं प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है अथवा किसी अन्य सदस्य को प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है कि सभा की किसी गुप्त बैठक की कार्यवाही को अब गुप्त न माना जाये। वह सरकार की ओर से विचार-विमर्श करने के लिए पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध

---

[14] जनवरी 1966 और मार्च 1967, जुलाई-नवंबर 1991 तथा मई 1996-दिसंबर 1997 के बीच, जब प्रधान मंत्री लोक सभा के सदस्य नहीं थे तो सभा के नेता का कार्य सरकारी कार्य के विषय और क्रम को निर्धारित करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह संसदीय कार्य से जुड़े सभी मामलों में प्रधान मंत्री को सलाह भी देता था। वह सत्ता पक्ष की आगे वाली बेंच पर प्रधान मंत्री के साथ बैठता था। चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभा के मामले में भी, प्रधान मंत्री सभा के सदस्य नहीं हैं और सभा का नेता सत्ता पक्ष की आगे वाली बेंच पर प्रधान मंत्री के साथ बैठता है। ***देखें*** प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, एम.एन. कौल एवं एस.एल. शकधर, सातवां संस्करण, 2016, पृष्ठ 153

रहता है। सभापति सरकारी-कार्य की व्यवस्था और कार्य-दिवसों के आवंटन के संबंध में अथवा अनुच्छेद 87(1) के तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित बातों पर चर्चा करने के लिए समय का आवंटन करने के कार्य में उसकी सलाह लेता है; गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए सामान्यत: निर्धारित दिन, शुक्रवार को छोड़कर किसी और दिन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के निष्पादन के लिए समय नियत करने के लिए; अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान; 'अनियत दिन वाले प्रस्ताव' पर चर्चा; अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा और सभा पटल पर रखे गए किसी विनियम, नियम, उपनियम इत्यादि में कोई संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार करने और उसे पारित करने से संबंधित विषय पर चर्चा करने के लिए समय का आवंटन करने के संबंध में भी उसकी सलाह ली जाती है। जब किसी सदस्य को सदन की सेवा से निलंबित करने का कोई प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है; अथवा सदस्य अथवा सभा अथवा समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला सभा में उठाया जाता है तो सभा के नेता से सामान्यतया विचार-विमर्श किया जाता है।[15]

अपने दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों में 'सभा का नेता' अपने दल के नेता के रूप में कार्य करता है परन्तु कुछ अवसरों पर वह समूची सभा के प्रवक्ता और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। उसके ऐसा करने का मुख्य अवसर तब आता है जब समूची सभा किसी बाह्य निकाय को अपनी स्थिति बताना चाहती है, उदाहरण के लिए जब किसी मामले में उसका दूसरी सभा से मतभेद हो या जब सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने की कोई शिकायत हो अथवा देश में या विदेश की किसी महत्वपूर्ण घटना पर सभा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहती हो। जब सभा एक निगमित निकाय के रूप में बोलती है, तो 'सभा का नेता' इसकी ओर से बोलता है।[16]

---

[15] सामान्यत:, जब अध्यक्ष किसी सदस्य का नाम लेता है, तो संसदीय कार्य मंत्री ही उस सदस्य को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित करने का प्रस्ताव उपस्थित करता है। 'प्रश्न के बदले पैसे' घोटाले में अनुचित आचरण के दोषी ठहराए गए लोक सभा के दस सदस्यों के निष्कासन का प्रस्ताव, 23 दिसम्बर, 2005 को सभा द्वारा स्वीकृत किए जाने से पहले, सभा के नेता और तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा उपस्थित किया गया था। ***देखें*** प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, एम.एन. कौल एवं एस.एल. शकधर, छठा संस्करण, 2009, पृष्ठ 153-154

[16] तदेव

'सभा के नेता' की जिम्मेदारी केवल सरकार अथवा उसके समर्थकों तक ही सीमित नहीं है, अपितु विपक्ष और समूची सभा के प्रति भी है। वह सभा में सरकार और विपक्षी समूहों के बीच संपर्क कायम रखता है। वह सरकार और विपक्ष दोनों ही के वैध अधिकारों का संरक्षक होता है। इसलिए उसे समूची सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रमुख संरक्षक होना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी ओर से, किसी भी तरह का दबाव पड़ने के बावजूद सभा को उसके अधिकारिक अवसरों से वंचित न होना पड़े।[17]

चूंकि 'सभा का नेता' महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए सभा उसका सम्मान करती है और उससे प्रेम करती है। किसी कठिन स्थिति के होने पर सभा का मार्गदर्शन करने, किसी कठिन घड़ी में सभा का नेतृत्व करने तथा संकट से उबारने के लिए सभा उससे अपेक्षा रखती है।

राज्य सभा के उन सदस्यों के नाम, जिन्होंने सभा के नेता के रूप में कार्य किया है, नीचे दिये गये हैं:

सभा के नेता – राज्य सभा

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री एन. गोपालास्वामी अयंगर	मई, 1952 से फरवरी, 1953
2.	श्री चारु चन्द्र विश्वास	फरवरी, 1953 से नवम्बर, 1954
3.	श्री लाल बहादुर शास्त्री	नवम्बर, 1954 से मार्च, 1955
4.	श्री गोविन्द बल्लभ पंत	मार्च, 1955 से फरवरी, 1961
5.	श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहिम	फरवरी, 1961 से अगस्त, 1963
6.	श्री वाई.बी. चव्हाण	अगस्त से दिसम्बर, 1963

[17] प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, एम.एन. कौल एवं एस.एल. शकधर, सातवां संस्करण, 2016, पृष्ठ 154

क्रम संख्या	नाम	अवधि
7.	श्री जयसुखलाल हाथी	फरवरी, 1964 से मार्च, 1964
8.	श्री एम.सी. छागला	मार्च, 1964 से नवम्बर, 1967
9.	श्री जयसुखलाल हाथी	नवम्बर, 1967 से नवम्बर, 1969
10.	श्री कोदरदास कालिदास शाह	नवम्बर, 1969 से मई, 1971
11.	श्री उमाशंकर दीक्षित	मई, 1971 से दिसम्बर, 1975
12.	श्री कमलापति त्रिपाठी	दिसम्बर, 1975 से मार्च, 1977
13.	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	मार्च, 1977 से अगस्त, 1979
14.	श्री के.सी. पंत	अगस्त, 1979 से जनवरी, 1980
15.	श्री प्रणब मुखर्जी	जनवरी, 1980 से जुलाई, 1981; तथा अगस्त, 1981 से दिसम्बर, 1984
16.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	दिसम्बर, 1984 से अप्रैल, 1987
17.	श्री नारायण दत्त तिवारी	अप्रैल, 1987 से जून, 1988
18.	श्री पी. शिवशंकर	जुलाई, 1988 से दिसम्बर, 1989
19.	श्री एम.एस. गुरुपदस्वामी	दिसम्बर, 1989 से नवम्बर, 1990
20.	श्री यशवंत सिन्हा	दिसम्बर, 1990 से जून, 1991
21.	श्री एस.बी. चव्हाण	जुलाई, 1991 से अप्रैल, 1996
22.	श्री सिकन्दर बख्त	20 मई, 1996 से 31 मई, 1996
23.	श्री इन्द्र कुमार गुजराल	जून, 1996 से नवम्बर, 1996
24.	श्री एच.डी. देवेगौड़ा	नवम्बर, 1996 से अप्रैल, 1997

क्रम संख्या	नाम	अवधि
25.	श्री इन्द्र कुमार गुजराल	अप्रैल, 1997 से मार्च, 1998
26.	श्री सिकन्दर बख्त	मार्च, 1998 से अक्तूबर, 1999
27.	श्री जसवंत सिंह	अक्तूबर, 1999 से मई, 2004
28.	डा. मनमोहन सिंह	जून, 2004 से मई, 2009; और मई, 2009 से मई, 2014
29.	श्री अरुण जेटली	जून, 2014 से अब तक

विपक्ष का नेता

इंग्लैंड में विपक्ष का नेता परम्परा से बना पद धारण करता है और जिसके विधान या सभा के नियमों के अनुसार कोई सरकारी कार्य नहीं होते हैं।[18] इंग्लैंड में 'हर मजेस्टी' का विपक्ष वैकल्पिक सरकार होती है। अत: 'हर मजेस्टी' के विपक्ष का दर्जा उसकी सरकार के दर्जे से दूसरे स्थान पर होता है और विपक्ष का नेता 'हर मजेस्टी' का लगभग वैकल्पिक प्रधान मंत्री होता है।

फिर भी, तकनीकी दृष्टि से फिलहाल वह मुख्य विपक्षी दल का नेता ही होता है।[19] विपक्ष में कई दल हो सकते हैं परन्तु विपक्ष से अभिप्राय दूसरे मुख्य दल से होता है जो अस्थायी रूप से अल्पमत दल होता है, जिसके नेताओं को पदों पर कार्य करने का अनुभव होता है और जो समय आने पर एक वैकल्पिक सरकार का गठन करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे यह गारंटी मिलती है कि विपक्ष द्वारा आलोचना किए जाने में एक-सी नीति अपनाई जाएगी और इसे जिम्मेदारी से निभाया जाएगा और यह आलोचना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए खेल को बिगाड़ देने वाली भावना से नहीं की जाएगी।[20]

'विपक्ष के नेता' का काम इतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि 'सभा के नेता' का होता है परन्तु फिर भी उसका अत्यंत महत्व है। विपक्ष लोकतंत्रीय सरकार का एक अनिवार्य अंग है।[21] विपक्ष से यही आशा की जाती है कि वह प्रभावी आलोचना करे।[22] अत:, यह कहना सच है कि संसद का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग विपक्ष होता है। सरकार शासन करती है और विपक्ष आलोचना करता है।[23] इस प्रकार दोनों के अपने-अपने कार्य और अधिकार हैं।

---

[18] पार्लियामेंट, आइवर जेनिंग्स, पृष्ठ 79

[19] तदेव

[20] पार्लियामेंट : ए सर्वे, कैंपियन, 1952, पृष्ठ 30

[21] केबिनेट गवर्नमेंट, आइवर जेनिंग्स, 1969, अध्याय XV

[22] तदेव

[23] तदेव

विपक्ष का कार्य सरकार तथा मंत्रियों की व्यक्तिगत रूप से कड़ी आलोचना करना होता है। विपक्ष का कर्त्तव्य है कि वह विरोध करे। यह कर्त्तव्य भ्रष्टाचार और दोषपूर्ण प्रशासन पर प्रमुख नियंत्रण का काम करता है। ये वे तरीके भी हैं जिनके द्वारा व्यक्तिगत अन्यायों को रोका जाता है। यह कर्त्तव्य सरकार के कर्त्तव्य की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण नहीं है। स्पष्ट रूप से बेतुकी लगने वाली बात कि विपक्ष सरकार द्वारा संसद की कार्यवाही के लिए विपक्ष के लिए अलग से कुछ समय रखने के लिए कहता है ताकि विपक्ष सरकार की निन्दा कर सके, बेतुकी बात बिल्कुल नहीं है। यह तो सभा के दोनों पक्षों द्वारा इस बात की स्वीकृति है कि सरकार स्पष्ट रूप से तथा ईमानदारी से शासन करती है और यह आलोचना का सामना खुफिया पुलिस और नजरबंदी शिविरों के द्वारा न कराकर युक्तिसंगत तर्क से कराने को तैयार रहती है।[24]

वस्तुतः विपक्ष और सरकार दोनों का काम सहमति से चलता है। अल्पमत दल यह मानता है कि बहुमत दल को शासन करना चाहिए और बहुमत दल यह मानता है कि अल्पमत दल को आलोचना करनी चाहिए। यदि आपसी सहिष्णुता की कमी हो जाए तो संसदीय सरकार की प्रक्रिया अस्त-व्यस्त हो जाएगी। प्रधान मंत्री विपक्ष के नेता को सुविधाएं उपलब्ध कराता है और विपक्ष का नेता सरकार की सुविधा का ध्यान रखता है।[25] केवल इसी तरीके से, संसदीय सरकार की प्रक्रिया बनी रह सकती है। विपक्ष को संसद को बेकार अथवा अनुत्पादक बनाने की भावना से अड़चनें उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है।[26] यदि कोई सरकार विपक्ष के अधिकारों का हनन करने का काम अपने हाथ में लेती है तो यह संसदीय भावना पर दलगत भावना की जीत का सबसे अधिक स्पष्ट प्रमाण होगा।[27] यदि सरकार विपक्ष के अधिकारों के लिए व्यवधानरहित सम्मान दर्शाती है, तो इसे संसदीय विश्वास की मजबूती के स्पष्ट प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।[28]

---

[24] केबिनेट गवर्नमेंट, आइवर जेनिंग्स, अध्याय XV, 1969

[25] तदेव

[26] सलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसीजर, एच.सी. 161 ऑफ 1931, एविडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर रेम्जे मैक्डोनाल्ड

[27] ब्रिटिश पार्लियामेंट, कैंपियन, 1981, पृष्ठ 20-21

[28] पार्लियामेंट: ए सर्वे, कैंपियन 1952, पृष्ठ 31

किसी संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के महत्व को देखते हुए, विपक्ष के नेता का पद वास्तव में उत्तरदायित्वपूर्ण पद होता है। वह, अन्य बातों के अलावा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अधिक्रमण किए जाने पर निगरानी रखता है, जब सरकार बिना किसी संसदीय आलोचना के चुपचाप बचकर निकलने का प्रयास करती है, तो वह उस पर बहस की मांग करता है। उसे और अधिक सतत् रूप से अपने स्थान पर अवश्य होना चाहिए और उसे एक कुशल संसदविद् के सभी दांव-पेंचों और सभा के नियमों के अधीन उपलब्ध सभी अवसरों की जानकारी होनी चाहिए। यह सत्ता में आने के लिए भावी सदस्यों के लिए एक अत्युत्तम प्रशिक्षण है और लोकतांत्रिक सरकार के प्रभावी कार्यकरण के लिए आवश्यक है।[29] अपने कर्त्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन करते समय विपक्ष के नेता को न केवल अपनी वर्तमान स्थिति बल्कि अपने भविष्य की आशा को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

हैराल्ड मैकमिलन के शब्दों में:

''मैं समझता हूं कि कोई भी पद विपक्षी नेता के समान अधिक कठिनाई वाला और कुछ मामलों में इससे अधिक अप्रतिफलदायक नहीं है – उसे आलोचना करनी पड़ती है, गलती बतानी होती है और साथ ही साथ नि:संदेह रूप से अपने प्रस्ताव और नीतियां बनानी पड़ती हैं, यद्यपि उसके पास उन्हें कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं होती है। वह इस अर्थ में भी अप्रतिफलदायक है क्योंकि कोई व्यक्ति जो प्रशासनिक क्षमता के प्रति जागरूक है और जिसके पास अपनी योजनाओं को लागू करने की इच्छा है किन्तु वह सदैव ही कुंठा की भावना से ग्रस्त रहता है।''

उन्होंने आगे कहा:

"इसी प्रकार, हमारी अद्वितीय शासन-प्रणाली में विपक्ष के नेता का संसद तथा राष्ट्र के प्रति एक विशिष्ट उत्तरदायित्व है। खतरनाक अवसरों पर विशेषतया विदेशी खतरे के समय और विशेषतया राज्य की रक्षा और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों में वह एक ओर तो आलोचक की

[29] पार्लियामेंट, आइवर जेनिंग्स, पृष्ठ 84

भूमिका अदा करता है जबकि अन्य अर्थ में, दूसरी ओर अपनी विरोधी सरकार का भागीदार और उसका अवलंब भी बनना पड़ता है। उसे इस दोहरे उत्तरदायित्व का निर्वहन निष्ठापूर्वक करना चाहिए।"[30]

भारत में स्थिति

भारत में लोक सभा और राज्य सभा के विपक्षी नेताओं को सांविधिक मान्यता दी जाती है। संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में संसद की किसी भी सभा के संबंध में विपक्षी नेता की परिभाषा, यथास्थिति, ''राज्य सभा या लोक सभा का सदस्य, जो अस्थायी रूप से उस सभा में उस सरकार के विरोधी दल का नेता होता है, जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है और जिसे, यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष, ने इस रूप में मान्यता प्रदान कर दी है'' के रूप में दी गयी है।[31] उक्त परिभाषा की व्याख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि जब राज्य सभा या लोक सभा में दो या दो से अधिक दल सरकार के विरोधी हों, और जिनकी संख्या एक बराबर हो, तो यथास्थिति राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष, दलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस धारा के प्रयोजनार्थ, ऐसे दलों के नेताओं में से किसी एक को विपक्षी नेता के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और ऐसी मान्यता अंतिम तथा निश्चायक होगी।[32]

उसे प्रति माह 1,00,000/- रुपए वेतन, प्रतिदिन 2,000/- रुपए दैनिक भत्ता, प्रतिमाह 70,000/- रुपए निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता, प्रति माह 3,000/- रुपए वाहन भत्ता (यदि वाहन और चालक प्रदान नहीं किया गया हो) और प्रति माह 2,000/- रुपए सत्कार भत्ता तथा प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में की गई 48 (अड़तालीस) एकल से अनधिक यात्राओं के लिए यात्रा-भत्ता, एक नि:शुल्क और पूरी तरह से सुसज्जित आवास तथा टेलीफोन, सचिवीय सहायता और चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं।[33]

---

[30] प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर, सातवां संस्करण, 2016, पृष्ठ 156

[31] दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, किसी दल को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने के लिए उस दल की न्यूनतम सदस्य संख्या सभा की कुल सदस्य संख्या के दसवें भाग के बराबर होनी चाहिए।

[32] 1985 का अधिनियम सं. 78

[33] तदेव

पागे कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि मान्यता-प्राप्त सबसे बड़े दल के नेता को (चाहे वह एक नियमित दल हो या विभिन्न दलों या ग्रुपों को मिलाकर बना हुआ दल हो) विपक्षी नेता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। कमेटी के अनुसार, यह एक स्वस्थ संसदीय परिपाटी होगी यदि प्रधान मंत्री सभा में कोई नीति-विषयक वक्तव्य देने से पहले विपक्ष के नेता को आमंत्रित करे और उसे उस वक्तव्य की एक अग्रिम प्रति उपलब्ध कराये और यथासंभव, किसी दिवस विशेष के लिए कोई विशेष कार्य निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष तथा सभा का नेता उसके सुझावों को स्वीकार करे। कमेटी ने सुझाव दिया कि विपक्षी नेता को वेतन दिया जाना चाहिए, साथ ही, उसे कार्यालय तथा रिहायशी आवास और सचिवालय के कुछ कर्मचारिवृन्द भी उपलब्ध कराये जाने चाहिए।[34]

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1969 में पहली बार दोनों सभाओं को एक मान्यता-प्राप्त विपक्षी दल [नवम्बर, 1969 में कांग्रेस दल में विभाजन होने के पश्चात् कांग्रेस दल (विपक्ष) बनाया गया] और प्रत्येक सभा को एक-एक विपक्षी नेता मिला।[35]

राज्य सभा में दिसम्बर, 1969 में संसदीय कांग्रेस दल (विपक्ष) को विपक्ष के एक दल के रूप में मान्यता दी गई तथा इसके नेता श्री श्याम नन्दन मिश्र को 240 सदस्यों वाली सभा में उस दल के 39 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होने के कारण राज्य सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई। जब श्री श्याम नन्दन मिश्र लोक सभा के लिए निर्वाचित हो जाने के कारण राज्य सभा के सदस्य नहीं रहे, तब श्री एम.एस. गुरुपदस्वामी को, जिन्हें नेता चुना गया था, राज्य सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई। तथापि, इस मामले में सभा में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई, हालांकि सभा की कार्यवाहियों में उन्हें इस रूप में वर्णित किया गया था।

---

[34] रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स (पागे कमेटी), 1968, पैरा 48-50

[35] प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर, सातवां संस्करण, 2016, पृष्ठ 156-157

राज्य सभा के जिन सदस्यों ने विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया है, उनके नाम नीचे दिये गये हैं:

विपक्ष के नेता – राज्य सभा

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री श्याम नन्दन मिश्र	*दिसम्बर, 1969 से मार्च, 1971
2.	श्री एम.एस. गुरुपदस्वामी	मार्च, 1971 से अप्रैल, 1972
3.	श्री कमलापति त्रिपाठी	*30.3.1977 से 15.2.1978
4.	श्री भोला पासवान शास्त्री	24.2.1978 से 23.3.1978
5.	श्री कमलापति त्रिपाठी	23.3.1978 से 2.4.1978; और 18.4.1978 से 8.1.1980
6.	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	21.1.1980 से 7.4.1980
7.	श्री पी. शिवशंकर	**18.12.1989 से 2.1.1991
8.	श्री एम.एस. गुरुपदस्वामी	28.6.1991 से 21.7.1991
9.	श्री एस. जयपाल रेड्डी	22.7.1991 से 29.6.1992
10.	श्री सिकन्दर बख्त	7.7.1992 से 9.4.1996; और 10.4.1996 से 16.5.1996
11.	श्री एस.बी. चव्हाण	25.5.1996 से 1.6.1996
12.	श्री सिकन्दर बख्त	1.6.1996 से 19.3.1998

* 1952 से 1969 और 1972 से 1977 की अवधि के दौरान राज्य सभा में किसी भी विपक्षी दल के पास मान्यता हेतु अपेक्षित संख्या बल, जो सभा की कुल सदस्यता का दसवां भाग है, नहीं था और इसलिए उस अवधि के दौरान राज्य सभा में कोई भी मान्यता-प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं था।

** संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 की धारा 2 में यथा अपेक्षित, 1980 से 1989 की अवधि के दौरान सरकार के किसी भी विपक्षी दल के नेता को राज्य सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी गयी थी।

क्रम संख्या	नाम	अवधि
13.	डा. मनमोहन सिंह	21.3.1998 से 14.6.2001; और 15.6.2001 से 22.5.2004
14.	श्री जसवंत सिंह	3.6.2004 से 4.7.2004; और 5.7.2004 से 16.5.2009
15.	श्री अरुण जेटली	3.6.2009 से 2.4.2012; और 3.4.2012 से 26.5.2014
16.	श्री गुलाम नबी आजाद	8.6.2014 से 10 फरवरी, 2015; और 16 फरवरी, 2015 से अब तक।

सचेतक

उद्‌गम

सचेतक का पद पूर्णत: ब्रिटिश सिद्धांत है।[36] यह सिद्धांत ब्रिटेन की संसद के कार्यकरण के लिए अहम महत्व रखता है। हाउस ऑफ कॉमन्स अथवा हाउस ऑफ लार्ड्स के स्थायी आदेशों में सचेतकों को सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन दीर्घकालिक परम्परा ने उन्हें संसदीय तंत्र में एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर दिया है। संसदीय तंत्र का प्रभावी और सुचारु संचालन मुख्यत: सचेतकों पर निर्भर करता है।[37] संसदीय प्रणाली की सरकार में सचेतक, जो सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल या दलों से लिए जाते हैं, संसद में किसी दल के आन्तरिक संगठन में महत्वपूर्ण कड़ियां होते हैं। संसद में दलों के महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं।

'सचेतक' शब्द अंग्रेजी के 'व्हिपर्स-इन' अथवा 'व्हिपस' से लिया गया है जिन्हें शिकार में 'हाउन्ड्स' पर नज़र रखने और आखेट-स्थल पर उन्हें एक साथ रखने के लिए नियुक्त किया गया हो।[38] संसदीय सचेतकों से वैसे ही अनुशासन पालक होने की आशा की जाती है क्योंकि उन्हें अपने दल के संसद सदस्यों की आवाज़ को नियंत्रित करना होता है। इस तरह सचेतकों के बारे में काफी अतिशयोक्तियां फैली होती हैं। आजकल उनका कार्य अधिकतर एक कार्मिक प्रबन्धक का है।[39] इस अभिव्यक्ति का संसदीय प्रयोग सर्वप्रथम महान संसदीय वक्ता एडमंड बर्क द्वारा किया गया था जिन्होंने मई, 1769 में हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई बहस में यह बताया था कि सम्राट के मंत्रियों ने अपने अनुयायियों को एक

---

[36] डा. राधा कुमुद मुकर्जी के अनुसार बुद्ध संघ के कार्यकरण से यह पता चलता है कि सचेतक तब भी विद्यमान था जिसे गणपूरक कहते थे ***देखें*** डेमोक्रेसी इन एनशिएंट इंडिया, राधा कुमुद मुकर्जी–जर्नल ऑफ पार्लियामेंटरी इन्फॉर्मेशन, खंड III (अप्रैल, 1956) में प्रकाशित एक लेख

[37] एर्सकाइन मेज़ ट्रीअटाइज़ ऑन दि लॉ, प्रिविलेजिस्, प्रोसीडिंग्स एंड यूसेज ऑफ पार्लियामेंट, 24वां संस्करण, 2011, पृष्ठ 51

[38] ए पार्लियामेंटरी डिक्शनरी, अब्राहम और हौट्रे, पृष्ठ 228

[39] हाउ पार्लियामेंट वर्क्स, पाल सिल्क

साथ रखने के लिए कितना प्रयास किया था और किस तरह से ''उन्हें एकत्र करने के लिए'' उन्होंने अपने मित्रों को उत्तर से तथा पेरिस से बुला भेजा था। तभी से यह वाक्यांश लोगों को लुभाने लगा और लोकप्रिय बन गया।[40] इस अर्थ में 'कन्साइज आक्सफोर्ड डिक्शनरी' में 'सचेतक' का वर्णन ऐसे अधिकारी के रूप में किया गया है, "जिसे संसद की सभा में अपने दल के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखने, उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने तथा अपने दल के उन सदस्यों को आवश्यक सूचना देने के लिए नियुक्त किया जाता है।" बाद में इस शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा भेजे गए निमंत्रण या अपील के लिए किया जाने लगा। शब्दकोष में इसकी परिभाषा ''किसी विशेष अवसर पर उपस्थित होने का अनुरोध करने वाली लिखित सूचना (जिसमें नोटिस की पंक्तियों को अनेक प्रकार से रेखांकित करके आवश्यकता की मात्रा को प्रकट किया जाता है) के रूप में किया गया था।'' इस प्रकार सचेतक शब्द का प्रयोग व्यक्ति के साथ-साथ दस्तावेज़ के लिए भी किया जाने लगा।

कृत्य

प्रत्येक दल का एक मुख्य सचेतक तथा सहायक सचेतक होते हैं और उनकी संख्या सभा में सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। सभी दलों के सचेतकों के जो सामान्य कर्त्तव्य हैं उन सब में ज्यादा महत्वपूर्ण कर्त्तव्य सरकार के सचेतक के होते हैं। उनका सम्बन्ध सत्र के समय की रूपरेखा बनाने, सरकारी कार्य के कार्यक्रम को पूरा करने तथा प्रत्येक बैठक के कार्य की व्यवस्था करने से होता है। सरकार के कार्य पर सुव्यवस्थित ढंग से विचार हो इस बात के लिए वह जिम्मेदार होता है। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार, ''कार्य की व्यवस्था एक कला है, जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।''[41] सत्र आरंभ होने के पश्चात् सरकार के मुख्य सचेतक का यह काम होता है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि सरकारी कार्य योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न हो जाए। उसे सरकार को संसदीय कार्य तथा प्रक्रिया के

[40] पार्लियामेंट: इट्स हिस्ट्री, कांस्टीट्यूशन एंड प्रेक्टिस, इल्बर्ट, पृष्ठ 135

[41] पार्लियामेंट, आइवर जेनिंग्स, पृष्ठ 126

बारे में परामर्श देना तथा मंत्रियों के साथ ऐसे कार्य के संबंध में निकट सम्पर्क स्थापित करना होता है जिसका प्रभाव उनके विभागों पर पड़ता है। सरकारी कार्य के सुचारू पारण के लिए सरकारी मुख्य सचेतक को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक मत-विभाजन में सरकार का बहुमत रहे। उसे अपने सेनानियों को इस प्रकार तैयार रखना पड़ता है ताकि हर समय उनकी पर्याप्त संख्या मौजूद रहे और बहुमत सुनिश्चित किया जा सके। उसे कार्यवाही पर भी सतर्क निगाह रखनी पड़ती है और किसी भी क्षण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। सचेतक का यह कर्त्तव्य होता है कि वह सभा में चल रही चर्चाओं की प्रवृत्ति से यह पूर्वानुमान लगा ले कि किसी भी निश्चित मद के कब सम्पन्न होने की आशा है। अत: उसे लगभग हर समय सभा की नब्ज की जानकारी रखनी होती है। वाद-विवाद के संचालन तथा उसे एक स्वरूप प्रदान करने में मुख्य सचेतक का प्रमुख हाथ होता है क्योंकि वही अपने दल के वक्ताओं की सूची पीठासीन अधिकारी को सौंपता है ताकि 'ध्यान आकर्षित करने' की प्रक्रिया में सुविधा रहे। वह यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी मामले पर वाद-विवाद समय के अन्दर रहे – निर्धारित समय तक चलता रहे और निर्धारित समय पर समाप्त हो जाए। इस कृत्य का सजीव वर्णन सर आइवर जेनिंग्स ने इस प्रकार किया है:

> तथापि, यदि वाक्पटुता की कोई कमी होने की संभावना हो या वक्ताओं की शक्ति के निर्धारित समय से पहले क्षीण होने की आशंका हो तो सचेतकों को थोड़ा बहुत उत्साहवर्धन भी करना पड़ता है। वाद-विवाद से पहले इस प्रकार का सुझाव देकर ऐसा किया जा सकता है कि नेता लोग कुछेक ऐसे सदस्यों को सुनने को बहुत उत्सुक हैं जो काफी समय से नहीं बोले हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे सदस्य तो सदैव ही मिल जाते हैं – जोकि बोर करने में माहिर होते हों, किन्तु उबाने वालों की भी अपनी उपयोगिता होती है – वे किसी भी विषय पर कितने ही लम्बे समय तक बोल सकने की क्षमता रखते हैं।[42]

सरकारी सचेतकों के अन्य महत्वपूर्ण कृत्य ''सभा को बनाना तथा सभा

[42] पार्लियामेंट, आइवर जेनिंग्स, पृष्ठ 93

को बनाए रखना'' होते हैं। आइवर बुल्मर थॉमस के शब्दों में, ''सभा को बनाए रखने से तात्पर्य है कि कोरम बनाए रखने के लिए और विशेषरूप से उनके अपने चुनिन्दा वक्ताओं को समर्थन देने के लिए पर्याप्त संख्या में सदस्यों को सदैव मौजूद रखना।''[43] सभा को बनाए रखना आसान काम नहीं होता है। यह देखना सचेतक का काम होता है कि दल के सदस्य पर्याप्त संख्या में निकट ही हों ताकि उन्हें कुछ ही मिनटों में सभा में बुलाया जा सके। सर आइवर जेनिंग्स लिखते हैं कि ''यह स्पष्टत: जरूरी नहीं होता है कि सदस्य सभा में ही रहें। वे सभा में हो रहे भाषण को सुन सकने की सीमा में रहें किन्तु उन्हें मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए।''[44] सरकारी मुख्य सचेतक का प्रमुख कार्य सभा में सरकारी कार्य को पूरा करवाने के संबंध में व्यवस्था करना है कि विपक्ष की गतिविधियों के बावजूद सत्र की समाप्ति पर संसद सभी विधान पारित कर चुकी हो तथा उसने वे सभी अन्य कार्य पूरे कर लिए हों जिनकी सरकार ने उस अवधि में पूरा करने के लिए योजना बनाई थी। इस कार्य को युक्तिसंगत तरीके से पूरा करने के लिए सरकारी मुख्य सचेतक और अन्य सचेतकों को एक दूसरे के साथ सम्पर्क बनाए रखना होता है। जीवन असहनीय हो जायेगा यदि दलों में यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग न हो कि सरकार का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों को युक्तिसंगत अवसर दिया जाये तथा सरकार को अपना विधान कार्य सभा में पारित करवाने के लिए युक्तिसंगत मौका दिया जाये। सहयोग से सामान्यतया बेहतर परिणाम निकलते हैं। दिन प्रतिदिन के कार्य की व्यवस्था और समझौते 'सामान्य माध्यमों' की मार्फत किए जाते हैं और 'सामान्य माध्यम' एक संसदीय पदबंध है जिसमें विभिन्न दलों के सचेतकों के बीच निकट कार्यकारी संबंध होना शामिल है। पीछे बैठने वालों द्वारा कभी-कभी 'सामान्य माध्यमों' की आलोचना की जाती है। विभिन्न दलों के सचेतकों के बीच संबंध को बहुत सुखकर रूप में देखा जाता है और कभी-कभी इसका प्रयोग दलों के बीच विसम्मति को रोकने के लिए किया जाता है – परन्तु अधिकांश लोग संसदीय तंत्र को सुप्रवाही बनाने के इस कार्य को अनिवार्य कार्य के रूप में स्वीकार करेंगे।[45]

[43] दि पार्टी सिस्टम इन ग्रेट ब्रिटेन, आइवर बुलमर थॉमस, पृष्ठ 110

[44] पार्लियामेंट, आइवर जेनिंग्स, पृष्ठ 85

[45] हाउ पार्लियामेंट वर्क्स, पाल सिल्क, पृष्ठ 46-47

जहां तक राजनैतिक दल का संबंध है, सचेतकों की यह जिम्मेदारी है कि वे सदन में दलगत अनुशासन बनाये रखें। शायद सचेतक का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य नेताओं और विशेषरूप से मंत्रियों को दल के विचारों के रुख और प्रत्येक सदस्य की मन: स्थिति तथा रुझान की उस समय जानकारी देना होता है जिन पर विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी होता है। यह कार्य सचेतक का होता है कि वह अनिष्ठा या असंतोष के थोड़े-से भी संकेत का पता लगाये, राजनीतिक जानकारी का हर छोटे से छोटा अभिलेख रखे तथा उस सामग्री को प्रधान मंत्री को भेजे। सदस्यों की शिकायतों या आलोचनाओं को सुना जाना चाहिए और उनकी शिकायतें दूर की जानी चाहिए क्योंकि दल छोटी-छोटी शिकायतों पर ही टूट जाते हैं। ''हालांकि सबको हर समय संतुष्ट करना संभव नहीं है फिर भी अधिकांश समय अधिकांश लोगों को अंशत: संतुष्ट करना संभव हो सकता है और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हमेशा वही बहुमत ही संतुष्ट न होता रहे।''[46] एन. निकल्सन के शब्दों में सचेतकों को ''दो तरफा खुफिया सेवा के रूप में कार्य करना चाहिए, मंत्रियों को पीछे बैठने वाले असंतुष्टों में व्याप्त व्याकुलता की चेतावनी देनी चाहिए और सदस्यों की असहमति को बहुत तूल देने के परिणामों की चेतावनी देनी चाहिए।''[47] सचेतकों का कार्य उचित असहमति को दबाना नहीं बल्कि जहां तक संभव हो इस असहमति को उन्हें लोगों की नजरों से छुपे हुए मार्ग से धारा प्रवाह में लाना है।[48] हरबर्ट मौरीसन ने लिखा है कि, ''डराने-धमकाने से समझाना-बुझाना बेहतर है: यही नियम है; किसी अक्खड़ सदस्य से जोर-जबरदस्ती करने की बजाय तर्कपूर्ण बात करना सामान्य प्रथा है।''[49] सक्षम सचेतक उन्मुक्तता से अपना कार्य करता है और सख्ती का प्रयोग केवल छोटे-मोटे खतरों से निपटने के लिए ही करता है। एक प्रसिद्ध सचेतक के बारे में कहा गया था: ''वह जब भी बात करता है तो इसकी जबान से अनुनय-विनय ही टपकती है।''[50] यह उचित ही कहा गया है कि

[46] पार्लियामेंट, आइवर जेनिंग्स, पृष्ठ 140

[47] पीपल एंड पार्लियामेंट, नाइजेल निकल्सन, 1958, पृष्ठ 75

[48] तदेव

[49] गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, हरबर्ट मौरीसन, पृष्ठ 104

[50] पार्लियामेंट, आइवर जेनिंग्स, पृष्ठ 88

''सचेतक न केवल विनम्रता से विकट परिस्थितियों का सामना करते हैं अपितु दल के निर्देशक भी होते हैं; वे सभा के नेता के सलाहकार ही नहीं होते, बल्कि उनमें दल को संगठित रखने की शक्ति भी होती है; वे विभिन्न क्षेत्र और मतों का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते बल्कि वे सदस्यों के परामर्शदाता भी होते हैं।''[51]

मुख्य सचेतक सदस्यों की पृष्ठभूमि, अनुभव, अभिरुचि तथा अर्हता, आदि को ध्यान में रखते हुए प्रवर समितियों तथा अन्य संसदीय और सहकारी समनुदेशनों में सेवा हेतु सदस्यों का चयन करता है। सदस्यों में विद्यमान मैत्रीपूर्ण संबंधों के संभावित विच्छेद को रोकने के लिए सचेतक वाद-विवादों में भाग नहीं लेते हैं। औपचारिक प्रस्तावों के अलावा, सरकारी सचेतक कार्यवाही के दौरान चुप रहते हैं। वे विचार-विमर्श में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। सरकारी कार्य की देख-रेख करने की आवश्यकता तथा सभा को बरकरार रखने को सुनिश्चित करने के लिए सचेतकों को घंटों तक बैंच पर शांति प्रहरियों की तरह बैठे-बैठे कार्यवाही को देखते रहना और सुनना पड़ता है लेकिन पक्षपातपूर्ण रूप से वाद-विवाद में वे शायद ही कभी बोलते हों। ''इस तरह सचेतक दो तरह से दंडित होते हैं, एक तो वे स्वयं बोल नहीं पाते हैं और दूसरे उन्हें अन्य सदस्यों के भाषणों को मजबूरन सुनना पड़ता है।''[52]

'सचेतक' शब्द का एक अन्य प्रयोग भी है। सत्र के दौरान महत्वपूर्ण मत-विभाजन की सम्भावना होती है तो सचेतक अपने-अपने दलों के सभी सदस्यों को सूचनाएं भेजते हैं। ऐसी सूचनाओं को 'सचेतक' कहते हैं। मत-विभाजन के महत्व के अनुसार कार्य की किसी भी मद को एक, दो या तीन रेखाओं से रेखांकित किया जाता है। वह यह स्पष्ट करते हैं कि किस समय सदस्यों से सभा में उपस्थित होने की आशा है, किस समय सभा में उनका अपने स्थान पर होना अत्यंत वांछनीय है और किस समय उनकी उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में इन सचेतकों को 'एक पंक्ति वाला सचेतक', 'दो पंक्ति वाला सचेतक' और 'तीन पंक्ति वाला सचेतक'

---

[51] प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर, सातवां संस्करण, 2016, पृष्ठ 158

[52] दि पार्टी सिस्टम इन ग्रेट ब्रिटेन, आइवर बुलमर थॉमस, पृष्ठ 110-111

कहा जाता है। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार, 'तीन पंक्ति वाला सचेतक' का संकेत होता है कि अन्य सभी कार्यों को छोड़ दिया जाए।[53]

भारत में स्थिति

संसदीय कार्य मंत्री सरकार का मुख्य सचेतक होता है। मुख्य सचेतक सदन के नेता के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। सरकार को संसदीय कार्य के संबंध में सलाह देना और मंत्रियों के साथ उनके विभागों को प्रभावित करने वाले संसदीय कार्य के संबंध में निकट संपर्क बनाये रखना उसके कर्तव्यों का एक भाग होता है।

जहां तक सदस्यों का संबंध है, मुख्य सचेतक दल के नेता के लिए उसकी आंख और कान का कार्य करता है। वह दल के सदस्यों को नेता की इच्छाओं के बारे में बताता है और नेता को दल की वर्तमान राय तथा प्रत्येक सदस्य की मनः स्थिति तथा रुझानों से अवगत कराता है, जब भी इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मुख्य सचेतक की सहायता एक या दो राज्य मंत्री और कभी-कभी उप-मंत्री भी करते हैं। मुख्य सचेतक उनकी सहायता से सत्ताधारी दल के सदस्यों पर नियंत्रण रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि बैठकों के दौरान सभा में आवश्यक गणपूर्ति रहे और मतदान के समय दल के पर्याप्त सदस्य सभा में उपस्थित हैं। प्रयोजनार्थ, वह उन्हें सुपरिचित प्रणाली या साधारण, एक, दो या तीन पंक्ति वाले 'व्हिप' के माध्यम से अग्रिम सूचना भेजता है जिसमें सभा के समक्ष किसी विशेष मुद्दे पर मतदान करने की आवश्यकता की सीमा के बारे में बताया जाता है।

वास्तविक कार्यकरण के दौरान शासक/सरकारी दल और विपक्षी दलों के सचेतक सामान्य दिलचस्पी के मामलों को निपटाने और बहुत-से निर्णायक अवसरों पर एक-दूसरे के विचारों को समझने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपनी सुविधानुसार एक-दूसरे से संपर्क करते हैं। प्रवर समितियों के लिए विपक्षी सदस्यों के चयन के मामले में भी सरकारी तथा विपक्षी सचेतकों के बीच संपर्क कायम करना महत्वपूर्ण हो जाता है।[54]

---

[53] पार्लियामेंट, आइवर जेनिंग्स, पृष्ठ 87

[54] प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर, सातवां संस्करण, 2016, पृष्ठ 160

इंग्लैंड की तरह भारत में भी मुख्य सचेतक बहुविध कार्यों का निष्पादन करता है, जिनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं:

1. वर्ष के दौरान लम्बित कार्यों की मात्रा, जलवायु संबंधी परिस्थितियों, पर्वों के दिनों आदि को ध्यान में रखते हुए संसद के सत्रों के बीच अंतराल रखने के बारे में निर्णय करना;

2. एक सभा के सत्र संबंधी कार्यक्रम को दूसरी सभा के कार्यक्रम के साथ समायोजित करना;

3. भारत सरकार के मंत्रालयों के परामर्श से, और यदि आवश्यकता हो तो, विपक्षी सचेतक के संपर्क से भी, सरकारी कार्य को अन्तिम रूप देना;

4. सत्र के वास्तविक रूप से प्रारम्भ हो जाने पर यह सुनिश्चित करना कि सरकार के विधायी तथा गैर-विधायी कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किया जाये;

5. प्रत्येक कार्य की आवश्यकता तथा महत्व को दर्शाते हुए सदस्यों को नोटिस, अर्थात् 'व्हिप' भेजना;

6. मंत्रियों के लिए 'रोस्टर ड्यूटी' नियत करना ताकि कुछ मंत्री सभा में सदैव उपस्थित रहें और सरकार को कार्य की विषय-वस्तु से संबंधित मंत्रियों और उनके द्वारा प्रतिनियुक्त मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण उलझनपूर्ण स्थिति का सामना न करना पड़े;

7. दल के आम हित में सदस्यों की सहायता करना, उन्हें सामग्री उपलब्ध कराना और उनका सामान्य मार्ग-निर्देशन करना;

8. सभापीठ के कार्य को सुगम बनाने के लिए, जिन सदस्यों को बोलने के लिए बुलाना चाहेंगे, सभा में विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर बोलने वाले वक्ताओं की सूची भेजना;

9. उन सदस्यों के नामों के बारे में सुझाव देना जिन्हें विभिन्न प्रवर समितियों तथा अन्य महत्वपूर्ण निकायों में नियुक्त किया जाना है या जिन्हें विभिन्न संसदीय शिष्टमंडलों में सम्मिलित किया जाना है;

10. सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर विचार करने तथा उनके लिए समय का आवंटन करने के लिए कार्य-मंत्रणा समिति की बैठकों में उपस्थित होना।

संविधान (52वां संशोधन) अधिनियम, 1985 से सचेतक का कार्य अधिक आसान हो गया है। यद्यपि, सचेतक का मुख्य कार्य अब भी महत्वपूर्ण मत-विभाजनों या मतदान के संबंध में सभा में गणपूर्ति सुनिश्चित करना तथा कार्यविधि को संयत रखना है, फिर भी सचेतक का कार्य अब बोझिल न रहकर औपचारिक बनकर रह गया है। जो सदस्य दल के 'व्हिप' के विपरीत मतदान करता है या मतदान में भाग नहीं लेता है, उसे संविधान के 52वें संशोधन के अधीन अपनी सदस्यता समाप्त होने का खतरा बना रहता है। इस प्रकार एक दस्तावेज के रूप में 'व्हिप' का, जिसे संविधान में दल का 'निदेश' कहा जाता है, महत्व काफी बढ़ गया है। एक अनौपचारिक व्यवस्था के रूप में जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, उसे अब भारत में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है।

संसद में मान्यता-प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधायें) अधिनियम, 1998 तथा संसद में मान्यता-प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (टेलीफोन और अनुसचिवीय प्रसुविधाएं) नियम, 1999 मान्यता-प्राप्त दल (ऐसा प्रत्येक दल जिसके राज्य सभा में कम से कम पच्चीस सदस्य हों) तथा किसी मान्यता-प्राप्त समूह (प्रत्येक ऐसा दल जिसके राज्य सभा में कम से कम पन्द्रह सदस्य हों) का प्रत्येक नेता, उप-नेता और मुख्य सचेतक एक आशुलिपिक रुपये 15600-39100 [निजी सचिव (समूह क) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (रुपये 15600-39100+5400 के संशोधन पूर्व वेतनमान के समतुल्य)] का हकदार है। ऐसा दल/समूह

सभापति द्वारा उक्त सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मान्यता-प्राप्त होना चाहिए। टेलीफोन और अनुसचिवीय सुविधाएं अस्थायी हैं और मान्यता-प्राप्त दल या मान्यता-प्राप्त समूह के नेता, उप नेता या मुख्य सचेतक के कार्यकाल के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। उक्त सुविधाएं ऐसे नेता, उप-नेता या मुख्य सचेतक को, यथास्थिति नहीं दी जाएंगी, जो—

(i) मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 की धारा 2 में परिभाषित किसी मंत्री के पद पर हो; या

(ii) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 की धारा 2 में परिभाषित विपक्ष के नेता के पद पर हो; या

(iii) किसी संसदीय समिति या अन्य समिति, परिषद, बोर्ड, आयोग अथवा सरकार द्वारा गठित किसी अन्य निकाय में कोई पद धारण करने के कारण अथवा उनका प्रतिनिधित्व करने की वजह से समान टेलीफोन और अनुसचिवीय सुविधाओं का हकदार हो; या

(iv) सरकार द्वारा अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम द्वारा किसी अन्य हैसियत से उसे प्रदत्त समान टेलीफोन और अनुसचिवीय सुविधाओं का हकदार है।

एक व्यक्ति के रूप में सचेतक के गुण

यह एक व्यापक धारणा है कि सदस्यों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने दल की लॉबी में मतदान करने तथा दल की विचारधारा के अनुरूप बोलने के लिए डराने-धमकाने और दबाव डालने के सिवाय सचेतकों का कोई अन्य कर्त्तव्य नहीं है। यह सचेतकों के कार्यों की गलत तथा अधूरी तस्वीर है। एक अच्छा सचेतक उस स्थिति से बचने का प्रयास करता है जिसमें परेशान या परेशान करने वाले सदस्य को विवश, अपमानजनक, अनुपालन

और सुस्पष्ट विद्रोह के बीच के मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है जिससे सरकारी अनुशासनिक कार्यवाही की सभी कठिन समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।[55] सचेतक एक बहुत ही परेशानी से घिरा व्यक्ति होता है। उसे अपने दल के सदस्यों और विभिन्न धारणाओं तथा प्रवृत्तियों के अन्य सदस्यों को संतुष्ट रखने के कठिन कार्य का निर्वहन करना पड़ता है। अपने कार्यों के निष्पादन के दौरान उसे प्रशंसा की अपेक्षा अधिक शिकायतें, भलाई की अपेक्षा अधिक बुराई, कृतज्ञता की अपेक्षा अधिक परिवेदना मिलती है। लेकिन अपनी निपुणता और कार्यकुशलता, धैर्य तथा निष्ठा से वह अपने पद पर होने वाले समस्त आघातों तथा आवेगों को आत्मसात कर लेता है और उन्हें पचा लेता है ताकि ये बातें दल के नेता या प्रधान मंत्री तक न पहुंच सकें। स्वर्गीय श्री सत्य नारायण सिंह लम्बे समय तक कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे सचेतक थे और उनके बारे में एक परिहास, जिसे वह खुशीपूर्वक अन्य लोगों को भी सुनाते थे, यह था कि प्रधान मंत्री के कमरे का कालीन इतना साफ-सुथरा इसलिये था क्योंकि वह एक ऐसे पायदान थे जो प्रत्येक मुलाकाती को अच्छी छानबीन के पश्चात् अंदर भेजते थे।[56] इस संदर्भ में, शायद एक ब्रिटिश संसद सदस्य ने मजाक में जो कहा था, वह प्रभावशाली प्रतीत होता है: ''सचेतक के पद के बिना संसद बिना सीवर सुविधा वाले नगर के समान है।''[57] प्रासंगिक तौर पर यह कहा गया है कि इंग्लैंड में टोरी पार्टी के सचेतकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभा में सुनी गई किसी भी निजी बातचीत को, प्ररूप में भरकर, जिसे वास्तव में 'डर्ट्स' (गंदगी) कहा जाता है, मुख्य सचेतक के पास भेज देंगे।[58] कभी-कभी सचेतकों को जनता के समक्ष पूर्णतया गलत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे मृदुता रहित निर्मम व्यक्तियों की तुलना में, जो लॉबी में आशंकित संसद-सदस्यों को उनकी अन्तर-आत्मा के विरुद्ध भयभीत करते हैं, सचेतक अत्यधिक व्यवहार-कुशल, कूटनीतिज्ञ और समझाने-बुझाने वाले व्यक्ति होते हैं।

---

[55] गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, हरबर्ट मोरीसन, पृष्ठ 104-05

[56] पोर्ट्रेट ऑफ पार्लियामेंट, हीरेन मुखर्जी, पृष्ठ 51

[57] काइन्डली सिट डाउन, जैक एस्पिनवाल, एम.पी., पृष्ठ 120

[58] रिबैल्स एंड व्हिप्स, राबर्ट जे. जैक्सन, पृष्ठ 42

मुख्य सचेतक का पद अत्यधिक जिम्मेदारी वाला पद होता है। डिजरायली ने कहा है, ''उसके पद के लिए मानव स्वभाव की पूर्ण जानकारी, अत्यधिक सौम्य लचीलापन और पूर्ण आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है।''[59] उसके कार्य के निष्पादन के लिए ये संभवत: सर्वाधिक आवश्यक अर्हताएं हैं। सचेतक के विभिन्न प्रकार के, नाजुक और कठोर कार्यों के लिए ऐसे वैयक्तिक गुणों की आवश्यकता होती है जिनका वर्णन सर आइवर जेनिंग्स द्वारा किया गया है। उन्होंने लिखा है:

> मानव प्रकृति का ज्ञान और मिलनसारिता सभी सचेतकों के लिए संभवत: सर्वाधिक आवश्यक अपेक्षाएं हैं। उन्हें अपने सभी सदस्यों की जानकारी होनी चाहिए, उन्हें हर प्रकार के मत की जानकारी होनी चाहिए, उन्हें विपक्ष की मन: स्थिति और सनक को समझना चाहिए, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि किस समय फुसलाना चाहिए, किस समय समझाना-बुझाना चाहिए और किस समय धमकाना चाहिए। पहले ही मधुर बातचीत करके अवरोध दूर किया जा सकता है। यदि प्रस्तावों को अलग-अलग व्यक्तियों के समक्ष भिन्न-भिन्न रूपों में रखा जाये तो उन्हें स्वीकृति मिल सकती है। सख्त व्यक्ति को विनम्रता से तथा संवेदनशील व्यक्ति को प्यार से निपटना चाहिये।[60]

इन विशेषताओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में, 'व्हिप' किस प्रकार एक अनुपयुक्त नाम है। वे किसी को विवश नहीं करते, वे समझाते-बुझाते नहीं हैं बल्कि वे सुझाव देते हैं, वे सदस्यों को अपने नेताओं के प्रति मित्र बनाये रखते हैं और नेताओं को अपने अनुयायियों से परिचित कराये रखते हैं।[61] उसकी अनुपस्थिति में ''वही स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, जैसी कि आपकी यात्रा करने की इच्छा रखते हुए समय-सारणी को कभी नहीं देख पाने के कारण उत्पन्न हो जाती है, आपको स्टेशन जाकर गाड़ियों

---

[59] पार्लियामेंट, आइवर जेनिंग्स, पृष्ठ 94

[60] पार्लियामेंट, आइवर जेनिंग्स, पृष्ठ 94

[61] तदेव, पृष्ठ 139

के बारे में पूछना पड़ेगा।[62] अतः परिवर्णी शब्द 'वी.आई.एफ.' (वेरी इम्पोर्टेंट फ्रेंड) (अत्यधिक महत्वपूर्ण मित्र) से 'व्हिप' का नामकरण करना उपयुक्त होगा।

[62] पेपर्स ऑन पार्लियामेंट बाई दि हैंसर्ड सोसायटी, पृष्ठ 65

चुनिंदा संदर्भ-ग्रन्थ सूची

1. जेनिंग्स, आइवर: पार्लियामेंट, दूसरा संस्करण, 1970,
2. वाइल्डिंग, नार्मन एंड लोंडी, फिलिप: एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पार्लियामेंट, चौथा संस्करण
3. मे, एर्सकाइन: ट्रीअटाइज ऑन दी लॉ, प्रिविलेजिस, प्रोसीडिंग्स एंड यूसेज ऑफ पार्लियामेंट, 24वां संस्करण, 2011
4. ग्लेडस्टोन, डब्ल्यू.ई.: ग्लीनिंग्स ऑफ पास्ट ईयर्स, 1879 (मे एर्सकाइन: ट्रीअटाइज ऑन दी लॉ, प्रिविलेजिस, प्रोसीडिंग्स एंड यूसेज ऑफ पार्लियामेंट, 24वां संस्करण, 2011)
5. मोरीसन, हरबर्ट: गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट
6. कौल, एम.एन. और शकधर, एस.एल.: प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, सातवां संस्करण, 2016
7. कैम्पियन: पार्लियामेंट - ए सर्वे, 1952
8. जेनिंग्स, आइवर: कैबिनेट गवर्नमेंट
9. सलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसीजर, एचसी 161 ऑफ 1931, एविडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर रेम्जे मेकडोनाल्ड
10. कैम्पियन: ब्रिटिश पार्लियामेंट, 1981
11. 1985 का अधिनियम सं. 78
12. पीठासीन अधिकारियों की समिति का प्रतिवेदन (पागे कमेटी), 1968
13. मुकर्जी, राधा कुमुद: डेमोक्रेसी इन एनसिएंट इंडिया - जरनल ऑफ पार्लियामेंटरी इन्फोर्मेशन, संस्करण III (अप्रैल, 1956) में प्रकाशित एक लेख
14. अब्राहम एंड हाट्रे: ए पार्लियामेंटरी डिक्शनरी

15. सिल्क, पॉल: हाऊ पार्लियामेंट वर्क्स
16. इल्बर्ट: पार्लियामेंट: इट्स हिस्ट्री, कॉन्स्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस
17. थॉमस, आइवर बुल्मेर: दी पार्टी सिस्टम इन ग्रेट ब्रिटेन
18. निकोलसन, निगेल: पीपुल एंड पार्लियामेंट
19. मुखर्जी, हिरेन: पोर्ट्रेट ऑफ पार्लियामेंट
20. एस्पिनवाल, जैक: काइन्डली सिट डाउन, 1985
21. जैकसन, रॉबर्ट जे.: रिबैल्स एंड व्हिप्स
22. दि हैंसर्ड सोसायटी: पेपर्स ऑन पार्लियामेंट